HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8148/2026
CNR: RJHC010584822026
URN: CRLMB / 17672U / 2026

Ankit Bhambi Aslias Monty S/o Radheshyam Bhambi, Aged About 32 Years, Resident Of Sanjay Colony, Near Church, Police Station Subhashnagar, District Bhilwara. (At Present Lodged In District Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor
2. Shyam Lal Tank So Chothmal Tank, Resident Of A351, Sanjay Colony, Subhashnagar, Bhilwara.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhushan Singh Charan
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

07/07/2026

01. इस मामले में तामील पूर्ण हो चुकी है।

02. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **सुभाषनगर,** जिला **भीलवाड़ा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **225/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा **363, 366, 342, 376 व 376(3) भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

03. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

04. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सह–अभियुक्त नदीम खान की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को ली जा चुकी है, जिसके आदेश के मुताबिक पीड़िता द्वारा अपनी मर्जी से नदीम के साथ कोटा जाना और नदीम द्वारा कोई अपहरण नहीं करना बताया और

बलात्संग की भी कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पीड़िता के 164 सी.आर.पी.सी. के बयान का अवलोकन किया। उसमें केवल उसका अपनी मम्मी से लड़ाई हो जाने पर अपनी मर्जी से कोटा जाना बताया है। प्रार्थी–अभियुक्त या सह–अभियुक्त के विरुद्ध कोई बलात्संग का आरोप नहीं लगाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अपहरण में सहयोग करना भी पीड़िता ने 164 सी.आर.पी.सी. के बयान में नहीं बताया है।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **अंकित उर्फ मोन्टी पुत्र राधेश्याम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

84/Divyashri Maru/677